अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवादित। - www.onlinedoctranslator.com

व्यापार की योजना

आय सृजन गतिविधि – हथकरघा (खादी)

द्वारा

लक्ष्मी – स्वयं सहायता समूह

एसएचजी/सीआईजीनाम	::	लक्ष्मी
वीएफडीएस नाम	::	निगानी
श्रेणी	::	निचार
विभाजन	::	किन्नौर

इसके तहत तैयार:

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं आजीविका सुधार परियोजना

(जाईका सहायता प्राप्त)

विषयसूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ/पृष्ठ
1.	परिचय	3-4
2.	एसएचजी/सीआईजी का विवरण	5
3.	लाभार्थियों का विवरण	6
4.	गांव का भौगोलिक विवरण:	6-7
5.	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	7
6.	उत्पादनयोजना का विवरण	7-8
7.	कच्चे माल की आवश्यकता और अनुमानित उत्पादन	8-9-10
8	विपणन/बिक्री का विवरण	10
9	समूह सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	10
10	ग्राहक	11
11	लक्ष्य केंद्र	11
12	स्वोट अनालिसिस	11
13	संभावित चुनौतियों का विवरण और उनके लिए किए जाने वाले उपाय	12
14	मशीनरी, उपकरण और अन्य उपकरण	12-13-14-15
15.	माह में कुल उत्पादन और बिक्री राशि	15-16-17
16	लाभ का बंटवारा	17
17.	फंडफ्लोइनदग्रुप	17
18	धन और खरीद के स्रोत	17-18
19.	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	18
20	ऋण चुकौती अनुसूची	18
21	निगरानीविधि	18-19
22	टिप्पणी	19
23	समूह सदस्यों की तस्वीरें	19-20-21
24	Listofrulesofthehouseofinterestesc	21

1. परिचय

हिमाचल प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है और पश्चिमी हिमालय में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को "भगवान की भूमि" के रूप में जाना जाता है और यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है।

राज्य में विविध पारिस्थितिकी तंत्र, नदियाँ और घाटियाँ हैं, और इसकी आबादी 7.5 मिलियन है और यह शिवालिक की तलहटी से लेकर मध्य पहाड़ियों (एमएसएल से 300-6816 मीट्रिक टन ऊपर), ऊँची पहाड़ियों और ऊपरी हिमालय के ठंडे शुष्क क्षेत्रों तक 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह घाटियों में फैला हुआ है, जहाँ से कई बारहमासी नदियाँ बहती हैं। राज्य की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कृषि, बागवानी, जलविद्युत और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण महाद्वीप हैं।

हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और किन्नौर राज्य के बारह प्रशासनिक जिलों में से एक है। किन्नौर जिला तीन प्रशासनिक उप-मंडलों में विभाजित है, जैसे कल्पा, निचार (भाबा नगर) और पूह और इसमें छह तहसील हैं। जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ में स्थित है। यह लाहुल और स्पीति के बाद हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला जिला है। किन्नौर जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 6401 वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 84121 है।

किन्नौर जिला कभी निषिद्ध क्षेत्र था, लेकिन अब यह साहसी और साहसिक साधकों के लिए एक खजाना है। कल्पा से भगवान शिव का निवास किन्नर कैलाश पर्वत देखा जा सकता है। इसके अलावा नाको गांव में एक प्राचीन झील है। निचले किन्नौर में हिंदू धर्म का बहुत प्रभाव है, जबकि उनकी आस्था प्रणालियों में बौद्ध धर्म के निशान हैं, और ऊपरी इलाकों में बौद्ध धर्म का बोलबाला है और दोनों धर्म सद्भाव में सह-अस्तित्व में हैं। किन्नौर जिला अपने सूखे मेवों जैसे चिलगोजा, खुबानी और बादाम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सेब की खेती ने भी गति पकड़ी है और अब किन्नौर जिले के सेब की

कीमत राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में सबसे अधिक हो रही है।

किन्नौर जिले के स्थानीय निवासी परंपरागत रूप से हाथ से बुने हुए कपड़े पहनते हैं, जो स्मृति की पहुँच से परे है। जलवायु की दृष्टि से किन्नौर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अर्थात् आर्द्र क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र और शुष्क क्षेत्र। निगानी क्षेत्र आर्द्र क्षेत्र में आता है और स्थानीय लोग महिलाओं के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं जिन्हें 'मफलर, शाल, स्टाल, धोरू' के नाम से जाना जाता है और पुरुष 'पट्टी' से ऊनी कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा पुरुष और महिलाएँ ऊनी टोपी (किन्नौरी टोपी) पहनते हैं। ये कपड़े भेड़ों के ऊन से तैयार किए जाते हैं जिन्हें स्थानीय लोग प्राचीन काल से पालते आ रहे हैं।

किन्नौर में हथकरघा उद्योग में उत्कृष्ट शिल्प कौशल की एक लंबी परंपरा है, जो जीवंत भारतीय संस्कृति का मुख्यतः घरेलू आधारित, जिसमें परिवार के विभिन्न सदस्य उत्पादन के लिए संयुक्त प्रयास करते हैं।

इस SHG में शामिल महिलाएँ अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही सक्रिय हैं। अब सदस्यों ने IGA के रूप में इस गतिविधि को चुना है ताकि वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पैसे कमा सकें और मुश्किल समय के लिए कुछ बचत भी कर सकें। अलग-अलग आयु वर्ग की 15 महिलाओं के एक समूह ने JICA परियोजना के तहत एक SHG बनाने के लिए एक साथ मिलकर एक व्यवसाय योजना तैयार करने का फैसला किया, जो उन्हें सामूहिक रूप से इस IGA को लेने और अपनी अतिरिक्त आय बढ़ाने में मदद कर सके।

प्रतिनिधित्व और संरक्षण करती है।

2. एसएचजी/सीआईजी का विवरण

3.1	एसएचजी/सीआईजीनाम	::	लक्ष्मी
3.2	वीएफडीएस	::	निगानी
3.3	श्रेणी	::	निचार
3.4	विभाजन	::	किन्नौर
3.5	गाँव	::	निगानी
3.6	अवरोध पैदा करना	::	निचार
3.7	ज़िला	::	किन्नौर
3.8	एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	::	15–महिलाएं
3.9	गठन की तिथि	::	26-11-2022
3.10	बैंक खाता सं.	::	4068026010005381
3.11	बैंक विवरण	::	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया निचार
3.12	SHG/CIGमासिकबचत	::	100/-(बैठक प्रत्येक माह की 15 तारीख को आयोजित होगी)
3.13	कुल बचत	::	
3.14	कुल अंतर-ऋण	::	
3.15	नकद क्रेडिट सीमा	::	--
3.16	पुनर्भुगतान स्थिति	::	--

3. लाभार्थियों का विवरण:

क्रमांक	नाम(श्री/ श्रीमती)	पिता/पतिनाम (श्री	वर्ग	जारी संख्या	पद का नाम	पेशा
1	श्रीमती चंदर देवी	श्री प्रेम चंद	अनुसूचित जाति	8894320195	प्रधान	कृषि
2	श्रीमती नैना देवी	श्री कपिल देव	अनुसूचित जाति	7876741511	सेक्रेटरी	कृषि
3	श्रीमती मयूम कला	श्री गोविंद कुमार	अनुसूचित जाति	7807269865	केशियर	कृषि
4	श्रीमती सुशीला.	श्री किशोर	अनुसूचित जाति	9816424274	सदस्य	कृषि
5	श्रीमती सूरज कुमारी	श्री प्रदीप	अनुसूचित जाति	9816754769	सदस्य	कृषि
6	श्रीमती सोनम देवी	श्री देव कुमार	अनुसूचित जाति	7876092743	सदस्य	कृषि
7	श्रीमती सिमकिट	श्री राम सरन	अनुसूचित जाति	_	सदस्य	कृषि
8	श्रीमती प्रेम देवी	श्री रतन सिंह	अनुसूचित जाति	9805019582	सदस्य	कृषि
9	श्रीमती आशा	श्री महेंद्र सिंह	अनुसूचित जाति	_	सदस्य	कृषि
10	श्रीमती मीना देवी	श्री राजेश कुमार	अनुसूचित जाति	9805481805	सदस्य	कृषि
11	श्रीमती चम्पा देवी	श्री प्रेम सिंह	अनुसूचित जाति	8544769276	सदस्य	कृषि
12	श्रीमती सुदेश कुमारी	श्री.सुरेन्द्र	अनुसूचित जाति	8091287139	सदस्य	कृषि
13	श्रीमती कल्पना	श्री राजेंद्र	अनुसूचित जाति	9805102179	सदस्य	कृषि
14.	श्रीमती मीना कुमारी	श्री.अनिल कुमार	अनुसूचित जाति	8580826438	सदस्य	कृषि
15	श्रीमती सीमा देवी	श्री भगवान दास	अनुसूचित जाति	8894862688	सदस्य	कृषि

4. गांव का भौगोलिक विवरण:

4.1	जिला मुख्यालय से दूरी	::	68 किमी
4.2	मुख्य सड़क से दूरी	::	16-किमीसेNH5
4.3	स्थानीयबाजारकानाम&दूरी	::	,भाबानगर-17किमी,रिकॉग पीओ-64 किमी ज्योरी-42 किमी रामपुर-65 किमी
4.4	मुख्यबाज़ारकानाम&दूरी	::	, रिकांगपिओ- 64 किमी &रामपुर-65किमी

4.5	मुख्य शहरों का नाम और दूरी	::	रिकांगपिओ-64किमी और रामपुर-65किमी
4.6	स्थान/स्थान का नाम जहां उत्पाद है बेचा/विपणन किया जाएगा	::	आर/पिओ, कश्पो, ग्राधे, पूजे, भाबानगर जिओरी और रामपुर,

2	उत्पाद पहचान की विधि		यह गतिविधि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा तय की गई है। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह का एक सदस्य पहले से ही यह गतिविधि कर रहा है। स्थानीय बाजार में इसकी भारी मांग है जिससे अतिरिक्त आय बढ़ेगी।
3	सहमति का एसएचजी/ सीआईजी / क्लस्टर आरसदस्यों		हाँ

I. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

1	उत्पाद का नाम		पूर्ण डिजाइन शॉल और साधारण शॉल, स्टाल, बॉर्डर, पूर्ण डिजाइन पट्टू, (पूर्ण डिजाइन और साधारण डोहरू) और ऊनी पट्टी
2	उत्पाद पहचान की विधि		यह गतिविधि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा तय की गई है। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह का एक सदस्य यह गतिविधि कर रहा है। स्थानीय बाजार में इसकी भारी मांग है, जिससे अतिरिक्त आय बढ़ेगी।
3	एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर सदस्यों की सहमति		हाँ

2. उत्पादन योजना का विवरण:

समूह के सदस्यों को पूर्ण डिजाइन शॉल और साधारण शॉल, स्टाल, बॉर्डर, पूर्ण डिजाइन पट्टू, (पूर्ण डिजाइन और साधारण डोहरू) और ऊनी पट्टी आदि उत्पादों के निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद समूह के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाएगा: -

1. शॉल और स्टॉल के निर्माण के लिए ताना और बाना का काम वॉर्पिंग मशीनों द्वारा किया जाएगा। इससे समय और श्रम व्यय की बचत होगी।
2. वस्तुओं के निर्माण के लिए समूह के सदस्यों द्वारा श्रम का विभाजन किया जाएगा।
3. सदस्य कच्चा माल लाएंगे और बारी-बारी से वस्तुओं का वितरण करेंगे।
4. सदस्यों को प्रतिदिन कम से कम 4-5 घंटे काम करना होगा।

6.1	समय लिया	::	**शॉल/स्टॉल:**कम से कम दो सदस्यों द्वारा 4-5 घंटे काम करने के बाद 10 दिनों में एक डिजाइन शॉल तैयार हो जाएगी। **सीमा:**एक सदस्य द्वारा 4-5 घंटे काम करने के बाद एक दिन में हथकरघा में अलग-अलग डिजाइन के दो बॉर्डर बनाए जाएंगे। **पट्टू:**3 सदस्यों द्वारा प्रतिदिन 4-5 घंटे काम करने के बाद 15 दिनों में विभिन्न डिजाइन के पट्टू तैयार किए जाएंगे। **पैटी:** सिलाई कोट के लिए पट्टी 3 सदस्यों द्वारा 4-5 घंटे/दिन काम करने के बाद 10 दिनों में तैयार की जाएगी **मफ़्लार:**3 सदस्यों द्वारा प्रतिदिन 4-5 घंटे काम करने के बाद 15 दिनों में विभिन्न डिजाइन का मफ्लार तैयार किया जाएगा **धोरू**: :3 सदस्यों द्वारा प्रतिदिन 4-5 घंटे काम करने के बाद 15 दिनों में अलग-अलग डिजाइन का धोरू तैयार किया जाएगा

6.2	शामिल सदस्यों की संख्या	::	15 महिला.
6.3	कच्चे माल का स्रोत	::	भबानगर और रामपुर
6.4	अन्य संसाधनों का स्रोत	::	स्थानीय बाजार/मुख्य बाजार
6.5	उत्पादन चक्र (दिनों में) 4-5 घंटे/दिन कार्य के पश्चात 30 दिन प्रतिदिन।	::	30 शॉल 30 स्टॉल 50 सीमा 15 पट्टू 40 पट्टी 10 धोरू 10 मफलर
6.6	प्रति चक्र आवश्यक श्रमिक (संख्या)	::	03 शॉल के लिए सदस्य 02 सदस्य स्टॉल 02 सदस्य बॉर्डर के लिए 02 सदस्य पट्टू के लिए 02 सदस्य पट्टी के लिए 02 सदस्य दोहरू के लिए 02 सदस्य मफलर के लिए **कुल-15 सदस्य**

3. कच्चे माल की आवश्यकता और अनुमानित उत्पादन:

1. शाल

क्रमांक।	विवरण	इकाई	मात्रा	प्रति यूनिट दर (रु.)	राशि (रु.)	अपेक्षित उत्पादन मात्रा
1.	कच्चा माल (ताना-बाना) (ओसवाल)	किलोग्राम.	30	2000	60000	**30 शॉल**
2.	30 शॉल के		90	25		

	लिए वार्पिंग मशीन का खर्च	नहीं।			2250	
	कुल				**62,250**	

2. छोटी दुकान

क्रमांक।	**विवरण**	**इकाई**	**मात्रा**	**प्रति यूनिट दर (रु.)**	**राशि (रु.)**	**अपेक्षित उत्पादन मात्रा**
1.	ताना एवं बाना	किलोग्राम.	30	2000	60000	**30 स्टाल**
2.	**कुल**				**60000**	

3. बॉर्डर (ऊनी/कैशमिलन)

क्रमांक।	**विवरण**	**इकाई**	**मात्रा**	**प्रति यूनिट दर (रु.)**	**राशि (रु.)**	**अपेक्षित उत्पादन मात्रा**
1.	ताना वूलन		0.36	1500	540	**50 टुकड़े (16**

		किलोग्राम.				**इंच)**
2.	बानाकैशमिलन	किलोग्राम.	0.36	430	155	
	कुल				**695**	

4. पट्टू(पूर्ण डिजाइन)

क्रमांक।	**विवरण**	**इकाई**	**मात्रा**	**प्रति यूनिट दर (रु.)**	**राशि (रु.)**	**अपेक्षित उत्पादन मात्रा**
1.	ताना (100% ऊन)	किलोग्राम.	6	एल/एस	27000	**15 पट्टू**
2.	बाना (100% ऊन)	किलोग्राम.	12			
3.	ओसवाल	नग	30			
	कुल				**27000**	

5. पट्टी

क्रमांक।	विवरण	इकाई	मात्रा	प्रति यूनिट दर (रु.)	राशि (रु.)	अपेक्षित उत्पादन मात्रा
1.	ताना (100% ऊन)	किलोग्राम.	16	एल/एस	60000	**40पट्टी**
2.	बाना (100% ऊन)	किलोग्राम.	40			
3.	मरीना वूल	किलोग्राम	40			
	कुल				**60000**	

6. ढोरू(पूर्ण डिजाइन)

क्रमांक।	विवरण	इकाई	मात्रा	प्रति यूनिट दर (रु.)	राशि (रु.)	अपेक्षित उत्पादन मात्रा
1.	ताना (100% ऊन)	किलोग्राम.	8	एल/एस	30000	**10 धोरू**
2.	बाना (100% ऊन)	किलोग्राम.	15			
3.	ओसवाल		20			

		नग				
4	मरीना	किलोग्राम	6			
	कुल				**30000**	

7. मफ़लार

क्रमांक।	**विवरण**	**इकाई**	**मात्रा**	**प्रति यूनिट दर (रु.)**	**राशि (रु.)**	**अपेक्षित उत्पादन मात्रा**
1.	ताना (100% ऊन)	किलोग्राम.	4	एल/एस	20000	**10 मफलर**
2.	बाना (100% ऊन)	किलोग्राम.	4			
3.	ओसवाल	नग	600			
	कुल				**20000**	

4. विपणन/बिक्री का विवरण:

7.1	संभावित बाज़ार स्थान/स्थान	::	गांव,टापरी-36 किमी, ज्योरी-44रिकॉन्ग पिओ-66 किमी और रामपुर-65 किमी
7.2	माँग	::	साल भर।
7.3	बाजार की पहचान की प्रक्रिया	::	समूह के सदस्य आस-पास के गांवों/बाजार से संपर्क करेंगे
7.4	विपणन रणनीति	::	स्वयं सहायता समूह के सदस्य सीधे निकटवर्ती गांवों/बाजार से ऑर्डर लेंगे।

7.5	उत्पाद का ब्रांड	::	लक्ष्मी खादी हथकरघा परियोजना

5. समूह के सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण:

- प्रबंधन के लिए नियम बनाये जायेंगे।
- समूह के सदस्य आपसी सहमति से कार्यों का वितरण करेंगे।
- आबंटन कार्य की दक्षता एवं क्षमता के आधार पर किया जाएगा।
- लाभ का वितरण भी कार्य की गुणवत्ता, कौशल एवं परिश्रम के आधार पर किया जाएगा।
- मार्केटिंग में अनुभव रखने वाले 04 सदस्य बारी-बारी से मार्केटिंग करेंगे।
- प्रधान और सचिव उसी समय प्रबंधन का मूल्यांकन और निरीक्षण करते रहेंगे।

6. ग्राहकों

हमारे केंद्र के प्राथमिक ग्राहक ज्यादातर गांव के आसपास के स्थानीय लोग होंगेनिगुलसरी में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इस व्यवसाय को आस-पास के छोटे कस्बों में भी फैलाया जा सकता है।

7. केंद्र का लक्ष्य

केंद्र का मुख्य उद्देश्य शहर के निवासियों को अद्वितीय आधुनिक और उच्च श्रेणी की बुनाई सेवा प्रदान करना है।बरीविशेष रूप से गांव और आसपास के गांवों के सभी निवासियों के लिए।

यह केंद्र आने वाले वर्षों में अपने परिचालन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ सबसे प्रतिष्ठित बुनाई केंद्र बन जाएगा।

8. स्वोट अनालिसिस

❖ **ताकत**

- कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा पहले से ही गतिविधि की जा रही है
- कच्चा माल आस-पास के बाजारों में आसानी से उपलब्ध

- विनिर्माण प्रक्रिया सरल है
- उचित पैकिंग और परिवहन में आसानी
- परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों का सहयोग करेंगे
- उत्पाद का स्वयं-जीवन लंबा है

❖ **कमजोरी**

- तकनीकी जानकारी का अभाव

❖ **अवसर**

- अच्छे उत्पादों की बढ़ती मांग

❖ **खतरे/जोखिम**

- प्रतिस्पर्धी बाजार
- प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों में प्रतिबद्धता का स्तर

9. संभावित चुनौतियों का विवरण और उन्हें कम करने के उपाय:

क्रमांक	जोखिमों का विवरण	::	जोखिम न्यूनीकरण के उपाय
13.2	यह संभव है कि बाजार में मांग कम हो जाए, जिससे बिक्री और आय प्रभावित हो।	::	विपणन उद्देश्य के लिए अतिरिक्त बाजार की खोज की जानी चाहिए।
13.3	उत्पादन की गुणवत्ता में गिरावट के कारण बिक्री कम हो सकती है।	::	उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सख्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

10. मशीनरी, औजार और अन्य उपकरण

एक।	पूंजीगत लागत			
क्रमांक।	मशीनरी का विवरण.	मात्रा	प्रति यूनिट दर	कुल राशि
1.	खादी-42 इंच	15	12000	1,80000
2.	आयरन प्रेस (2 किग्रा)	5	1000	5000
3.	कताई वाले पहिए	10	2500	25,000
4.	पेग रैपिंग मशीन	15	3500	52500
5.	भंडारण बॉक्स (ट्रंक)	2	5000	10,000
6	पिट लूम	15	3000	45000
7	कैंची	15	100	1500
	कुल पूंजी लागत			**3,19000**

बी।	आवर्ती लागत

1. शाल

क्रमांक।	विवरण	इकाई	मात्रा	प्रति यूनिट दर (रु.)	राशि (रु.)	अपेक्षित उत्पादन मात्रा
1.	कच्चा माल (ताना-बाना) (ओसवाल)	किलोग्राम.	30	2000	60000	**30 शॉल**

2.	30 शॉल के लिए वार्पिंग मशीन का खर्च	नहीं।	90	25	2250	
	कुल				**62,250**	

2. छोटी दुकान

क्रमांक।	**विवरण**	**इकाई**	**मात्रा**	**प्रति यूनिट दर (रु.)**	**राशि (रु.)**	**अपेक्षित उत्पादन मात्रा**
1.	ताना एवं बाना	किलोग्राम.	30	2000	60000	**30 स्टाल**
2.	**कुल**				**60000**	

3. बॉर्डर (ऊनी/कैशमिलन)

क्रमांक।	**विवरण**	**इकाई**	**मात्रा**	**प्रति यूनिट दर (रु.)**	**राशि (रु.)**	**अपेक्षित उत्पादन मात्रा**
1.	ताना वूलन		0.36	1500	540	**50 टुकड़े (16**

		किलोग्राम.				**इंच)**
2.	बानाकैशमिलन	किलोग्राम.	0.36	430	155	
	कुल				**695**	

4. पट्टू (तीन फूल तारा गुड्डी बेल)

क्रमांक।	**विवरण**	**इकाई**	**मात्रा**	**प्रति यूनिट दर (रु.)**	**राशि (रु.)**	**अपेक्षित उत्पादन मात्रा**
1.	ताना (100% ऊन)	किलोग्राम.	6	एल/एस	27000	**15 पट्टू**
2.	बाना (100% ऊन)	किलोग्राम.	12			
3.	ओसवाल	नग	30			
	कुल				**27000**	

5. पट्टी

क्रमांक।	विवरण	इकाई	मात्रा	प्रति यूनिट दर (रु.)	राशि (रु.)	अपेक्षित उत्पादन मात्रा
1.	ताना (100% ऊन)	किलोग्राम.	16	एल/एस	60000	**40 पट्टी**
2.	बाना (100% ऊन)	किलोग्राम.	40			
3.	मरीना वूल	किलोग्राम	40			
	कुल				**60000**	

6. ढोरू (पूर्ण डिजाइन)

क्रमांक।	विवरण	इकाई	मात्रा	प्रति यूनिट दर (रु.)	राशि (रु.)	अपेक्षित उत्पादन मात्रा
1.	ताना (100% ऊन)	किलोग्राम.	8	एल/एस	30000	**10 धोरू**
2.	बाना (100% ऊन)	किलोग्राम.	15			
3.	ओसवाल		20			

		नग				
4	मरीना	किलोग्राम	6			
	कुल				**30000**	

7. मफ़्लार

क्रमांक।	**विवरण**	**इकाई**	**मात्रा**	**प्रति यूनिट दर (रु.)**	**राशि (रु.)**	**अपेक्षित उत्पादन मात्रा**
1.	ताना (100% ऊन)	किलोग्राम.	4	एल/एस	20000	**10 मफलर**
2.	बाना (100% ऊन)	किलोग्राम.	4			
3.	ओसवाल	नग	600			
	कुल				**20000**	

क्रमांक	**विवरण**	**कीमत**	**कुल राशि (रु.)**
1	कमरे का किराया और बिजली	3000	3000
2	पैकिंग सामग्री और भंडारण बॉक्स	7000	7000
3	माल ढुलाई शुल्क (कच्चा माल और अंतिम उत्पाद)	3000	3000
4	अन्य (स्थिर, परिवहन, मशीन मरम्मत)	1500	1500
कुल आवर्ती लागत (बी)			**259,945**

	आवर्ती व्यय = कुल आवर्ती-श्रम मजदूरी =259,945-157,500	102,445
	कुल व्यय=A+B =319000+102,445	4,21,445

11. महीने में कुल उत्पादन और बिक्री राशि

चूंकि यह एसएचजी में उनके नियमित घरेलू काम के अलावा एक अतिरिक्त गतिविधि है, इसलिए परिणाम प्रत्येक सदस्य के काम के घंटों के अनुपात में होगा। हमेशा शुरुआत में उत्पादन को रूढ़िवादी पक्ष पर रखना बेहतर होता है जिसे हमेशा समय बीतने और कार्य अनुभव के साथ बढ़ाया जा सकता है।

सी)	कुल बिक्री			
क्रमांक	विशिष्ट	मात्रा	दर (रु.)	राशि (रु.)
1	शाल	30	5000	1,50000
2	छोटी दुकान	30	3000	90,000
3	सीमा	50	1000	50000
4	पट्टू	15	10000	150,000
5	पट्टी	40	2500	100000
6	धोरू	10	10000	100000
7	मफ़्लार	10	10000	100000
	कुल (सी)			7,40,000

विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान (75%)	एसएचजी योगदान (25%)
कुल पूंजी लागत	3,19,000	2,39,250	79,750
आवर्ती लागत			
प्रति माह अन्य व्यय	102,445	-शून्य-	102,445
कुल	**402,845**	**2,39,250**	**1,82195**

एक माह में कुल बिक्री = 7,40000

पहले महीने में कुल व्यय (3,19000+ 102,445) = 4,21,445

हालांकि, 2,93,250 रुपये की राशि परियोजना सहायता है इसलिए गणना के उद्देश्य से इस राशि को व्यय कॉलम से सुरक्षित रूप से घटाया जा सकता है और शुद्ध आय को फिर से फिर से डाला जा सकता है। इसके अलावा SHG के सदस्य सामूहिक रूप से काम करेंगे इसलिए उनकी मजदूरी को ध्यान में नहीं रखा गया है। महीने के अंत में शुद्ध आय को निम्नानुसार फिर से डाला जाता है:

पूंजीगत लागत		
विवरण	**मात्रा**	**एसएचजी योगदान**
पूंजीगत लागत	3,19,000	79,750
आवर्ती व्यय		
i) प्रति माह पूंजीगत लागत पर 10% मूल्यह्रास	3190	
i) सामग्री लागत आदि पर अन्य व्यय।	102,445	
कुल	105,635	
कुल लागत	**79,750+105,635=1,85,385**	
पहले महीने में कुल बिक्री	**7,40000**	
शुद्ध लाभ	**5,54,615**	

12. लाभ का बंटवारा

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया है कि प्रथम माह में प्रत्येक सदस्य को 35,000 रुपये आय के रूप में दिए जाएंगे तथा शेष 69,265 रुपये का लाभ उनके बैंक खाते में आपातकालीन आरक्षित निधि के रूप में रखा जाएगा, ताकि भविष्य में किसी आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।

13. समूह में निधि प्रवाह:

क्रमांक I	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना योगदान	एसएचजी योगदान
1	कुल पूंजी लागत	3,19,000	2,39,250	79,750
2	कुल आवर्ती लागत	102,445	0	102,445
3	प्रशिक्षण	100000 (2 प्रशिक्षण के लिए)	1,00,000	0
	कुल परिव्यय	**5,21,445**	**3,39,250**	**1,82,195**

टिप्पणी-

- **पूंजीगत लागत** -कुल पूंजीगत लागत का 75% परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा
- **आवर्ती लागत- पूरी लागत का वहन कंपनी द्वारा किया जाएगा।**एसएचजी/सीआईजी.
- **प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन – कुल लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी**
- **स्वयं सहायता समूह को निगानी में उपलब्ध स्थानीय प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण की सम्पूर्ण संतुष्टि के पश्चात ही प्रशिक्षक को भुगतान जारी किया जाएगा।**

14. धन और खरीद के स्रोत:

रियोजना समर्थन;	• पूंजीगत लागत का 75% हिस्सा मशीनों की खरीद के लिए उपयोग किया जाएगा। • स्वयं सहायता समूह के बैंक	सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद मशीनों की खरीद

	खाते में एक लाख रुपये तक की धनराशि परिक्रामी निधि के रूप में जमा की जाएगी। • प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत।	संबंधित डीएमयू/एफसीसीयू द्वारा की जाएगी।
एचजी योगदान	• पूंजीगत लागत का 25% हिस्सा स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा। • आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी	

15. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन की लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

- टीम वर्क
- गुणवत्ता नियंत्रण
- पैकेजिंग और विपणन
- वित्तीय प्रबंधन

16. ऋण चुकौती अनुसूची-

यदि ऋण बैंक से लिया गया है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

- सीसीएल में, एसएचजी के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए

17. निगरानी विधि–

- वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी ताकि प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित किया जा सके।.
- स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक सदस्य की आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की भी समीक्षा करनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए ताकि इकाई का संचालन अनुमान के अनुसार सुनिश्चित हो सके।

13. टिप्पणी

14. समूह सदस्यों की तस्वीरें-

सूरज

मायुम कला

सुशीला देवी

प्रेम देवी

मीना कुमारी

नैना देवी

समकित

सीमा कुमारी

चंदर देवी

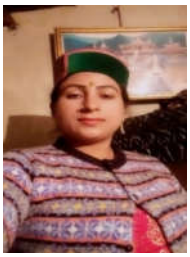

चंपा देवी

सुदेश कुमारी

मीना देवी

कल्पना

सनम कुमारी

उषा किरण

1. समूह कार्य; हथकरघा;
2. समूह का पता: गांव निगानी, पोस्ट ऑफिस निचार, तहसील निचार, जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश.
3. समूह के कुल सदस्य ;15
4. प्रथम समूह बैठक की तिथि; 20-12-2022
5. समूह में प्रत्येक 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज मिलेगा
6. समूह की मासिक बैठक हर माह की 20 तारीख को होगी
7. समूह के सभी सदस्य हर माह बचत की गई राशि समूह में जमा करेंगे।
8. स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी सदस्यों को उपस्थित होना होगा।
9. यूबीआई निचार में स्वयं सहायता समूह का खाता खोला जाएगा बैंक शाखा खाता संख्या है 406802010005152
10. समूह बैठक में उपस्थित होने के लिए प्राचार्य एवं सचिव को उचित कार्य बताकर अनुमति लेनी होगी।

11. समूह में जो व्यक्ति बचत की राशि जमा नहीं करता है या 3 बैठकों तक समूह से अनुपस्थित रहता है, तो उस व्यक्ति को समूह से हटा दिया जाएगा।

12. जो व्यक्ति बिना कारण बताए समूह में उपस्थित रहेगा तो अगली बैठक उसी व्यक्ति के घर पर होगी जिसका खर्च उस व्यक्ति को स्वयं देना होगा, यदि दो सदस्य हैं तो खर्च मिलकर देना होगा।

13. स्वयं सहायता समूह के प्रमुख एवं संचालक का चुनाव सर्वसम्मति से किया जाएगा।

14. प्रिंसिपल और सचिव और बैंक के साथ लेनदेन, यह पद एक वर्ष के लिए वैध होगा।

15. मुखिया, सचिव या सदस्य समूह के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेंगे तथा सदैव समूह की राशि का उपयोग करेंगे।

16. यदि सदस्य किसी कारण से समूह छोड़ना चाहता है, यदि उस व्यक्ति ने ऋण लिया है, तो समूह को वापस किया जा सकता है, तभी वह समूह छोड़ सकता है अन्यथा नहीं

17. बैठक में ऋण का उद्देश्य, राशि के भुगतान का समय, ऋण की कुल राशि तथा ब्याज की दर पर निर्णय लिया जाएगा।

18. आपातकालीन स्थिति में, प्रिंसिपल और सचिव के पास कम से कम 1000 एससीआरएस होने चाहिए।

19. एसएचजी के इस आदेश को सभी सदस्यों के सामने पढ़ा और लिखा जाना चाहिए।

20. बड़े उधारकर्ताओं को एक सप्ताह का दुखद विज्ञापन नोटिस देना होगा।

21. सभी सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर ऋण उपलब्ध होना चाहिए।

22. यदि कोई सदस्य बिना किसी कारण के समूह छोड़ना चाहता है, तो उस सदस्य की जमाराशि समूह में विभाजित कर दी जाएगी.

23. समूह को हर महीने अपनी मासिक रिपोर्ट तकनीकी क्षेत्रीय इकाई (निचार रेंज किन्ना) के कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगीउरडिवीजन).

Comment [D1]:

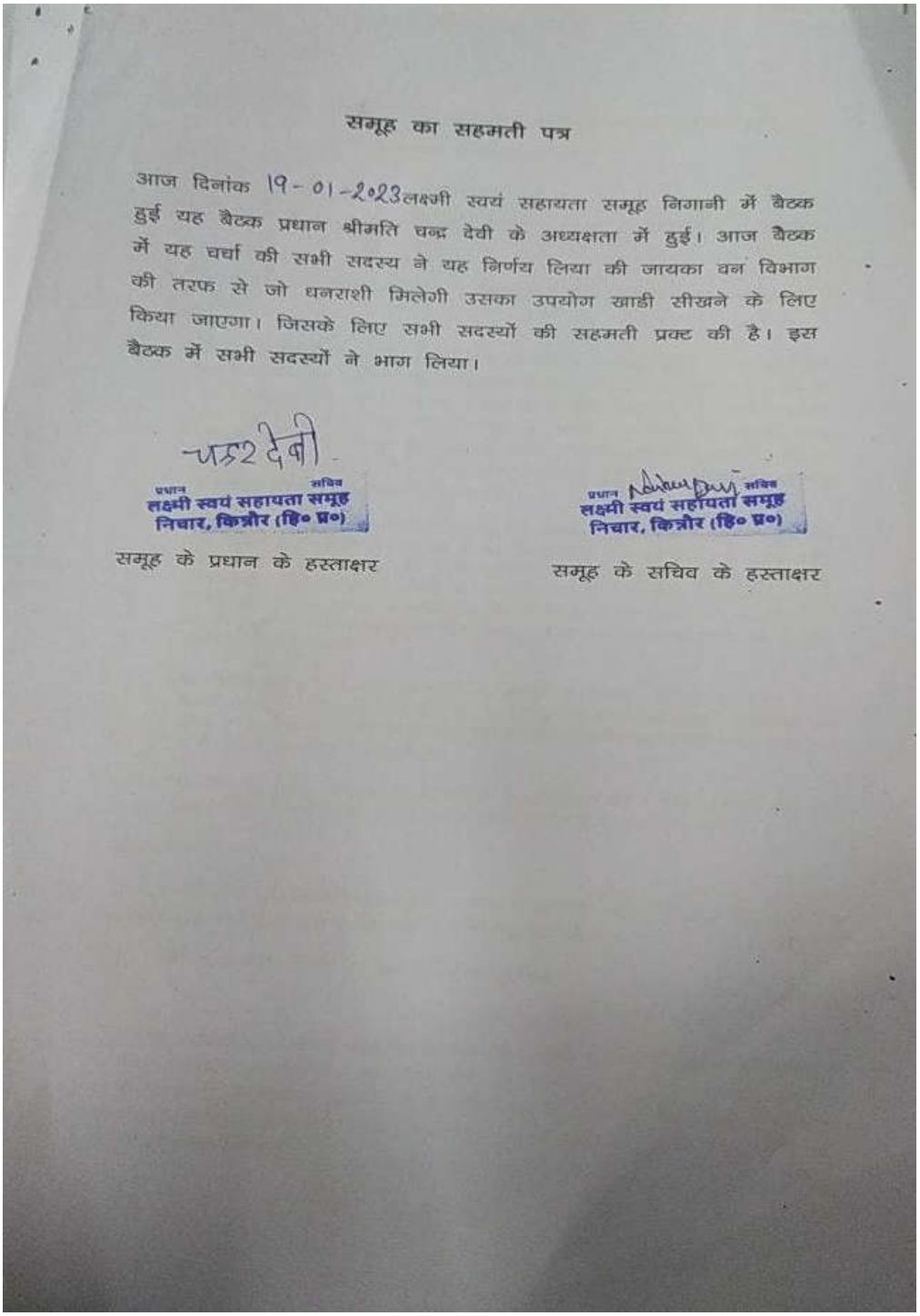

समूह का सहमती पत्र

आज दिनांक 19-01-2023 लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह निगानी में बैठक हुई यह बैठक प्रधान श्रीमति चन्द्र देवी के अध्यक्षता में हुई। आज बैठक में यह चर्चा की सभी सदस्य ने यह निर्णय लिया की जायका वन विभाग की तरफ से जो धनराशी मिलेगी उसका उपयोग खाडी सीखने के लिए किया जाएगा। जिसके लिए सभी सदस्यों की सहमती प्रक्ट की है। इस बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया।

चन्द्र देवी

प्रधान सचिव
लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह
निचार, किन्नौर (हि० प्र०)

समूह के प्रधान के हस्ताक्षर

प्रधान सचिव
लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह
निचार, किन्नौर (हि० प्र०)

समूह के सचिव के हस्ताक्षर

Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods

Memorandum of Understanding

Between

The .....Nigani.....Village Forest Development Society/ BMC Sub Committee

And

The Forest Department (represented by DFO KINNAUR) for Participatory Forest Management.

Whereas

- The Nigani.....Village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee (hereinafter called "Society") has been constituted as per procedure described in the HP PFM Regulations notified by Govt. of HP vide No. FFE-C (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Pam III dated 19.11.2018, by the Villagers of Nigani...village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee in district KINNAUR and Forest Division KINNAUR Himachal Pradesh and has an elected Executive Committee (hereinafter called "EC"),

- as part of the Japan International cooperation Agency (JICA) supported "Project For Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and livelihoods" (hereinafter called -Project") the Micro plan (Forest Ecosystems Management Plan & Community Development & Livelihood Improvement Plan) for Forest Management and Community Development (hereinafter called "Plan") for Forest protection, rehabilitation and management of the specified forest areas has been jointly prepared by the Society and the Forest Division

- the Plan contains details of program for conservation, management and development of forest areas, Biodiversity conservation, Livelihood improvement works and also the description of equitable distribution of usufructs obtained from allocated forest areas and public resources of the ward/village;

- the Plan has been approved by the Officer in Charge of the Forest Division (here- in after called "Forest Officer") on behalf of Government of Himachal Pradesh;

Now here with

The .KINNAUR..... Forest Division and the Society have mutually agreed on this MoU, and consequently. This MoU is executed with the following articles;

1. **Purpose of the Memorandum of Understanding**

This Memorandum of Understanding (herainafter called -Man details the responsibilities of the Society regarding management and protection of forest areas) and village(s) resource development, in the manner specified in the Plan and for equitable disttibution of benefits amongst its members. It further details payments and support to be provided by the project and the associated conditions.

2. **Responsibilities of the Society**

2.1 With regard to its Constitution, working, powers, duties and benefits, the Society agrees to act in accordance with the HP Government Notification No. FFE-B-F (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Part- III dated 19.11.2018, and other relevant Government orders and instructions.

2.2 The Society agrees to provide all necessary assistance to the Forest Officer in selection of forest area(s) to be allotted to it for forest management and development so that there is no dispute regarding areas of common use of nearby villages.

2.3. The Society agrees to prepare and submit general house approved, quarterly physical & financial plans with budget requirements to FTU concerned for releasing funds after Plan's approval from PMU.

2.4. The Society agrees to identify Community Development Activities (CDAs) in conformity with the CDA guidelines, decide on these through a consultative process and implement them according to the relevant standards as applicable.

2.5. The Society agrees to carry out works laid out in the Plan for the forest area (such as planting, fencing, maintenance and protection) and in doing so, follow the principles of management of forest and wildlife specified therein, also taking into account the guidelines of the Government, prevalent legal provisions and technical principles. The Society will ensure that no existing acts/rules of forest/wildlife management are being violated.

2.6. The Society agrees to contribute membership fee through its members/user groups. The amount with interest will be available to VFDS/BMC (Sub-Committee) after project closure and can be used by VFDS/BMC (Sub-Committee) consensus. The amount deposition to be done within six months.

2.7. The Society agrees, after completion of the related works, to protect the forest area from fire, illicit grazing, illicit felling, and illicit transport. Illicit mining, encroachments and poaching and shall help the forest department in this regard.

2.8. The Society agrees to pass the information regarding person(s) engaged in banning the wild animals and forests or those engaged in illegal activities on to the Forest Department. The Society agrees to help forest employees in apprehending such person(s) and provide all possible assistance in protecting any seized produce etc.

2.9 The Society agrees to rectify any shortcomings found during review of its works by the Forest Officer/monitoring agency.

2.10 The Society agrees to keep accounts of income and expenditure of the funds from various sources and also to get regular annual audits done by the agency assigned by the Forest Officer.

2.11. The Society agrees to maintain the records specified by the project regularly and in prescribed formats.

2.12. The Society agrees that the distribution of products and services generated as a result of implementation of the Plan among its members/User Groups is done in an equitable manner. If the Forest Officer points out any mismanagement or irregularity in the equitable distribution of such products and services, then the

Society agrees to implement the necessary corrections/improvements suggested by the Forest Officer.

2.13. Society agrees to ensure that there will be no miss utilization of funds provided by Forest Department for implementing project activities.

2.14. Society will open two accounts of VFDS/BMC (Sub-Committee), One for PEMP implementation (FE Account) and second one as; revolving fund under Livelihood activities (CD&LI Account).

2.15 The funds and maintenance of account would be in accordance with Para-36 to 43 of the Bye-laws notified by Govt. on dated 19-11-2018 for VFDS under the Project.

3. Responsibilities of the Forest Department

3 1. The Forest Department will provide to the Society the related input materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in a timely manner.

3.2. The Forest Department will provide the payments specified in the Plan to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan in a timely manner. The Society to prepare and submit general house approved, six monthly physical & financial plans with budget requirements to DMU through FTU concerned for release of funds. DMU to release the fund to the VFDS/BMC (Sub-Committee)

3.3. Funds from other department's schemes as the Panchayat may be able to garner/ converge, may also be used for activities that help meet the project's objectives.

3.4. The Forest Department shall provide the necessary advice and guidance to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan.

3.5 The Forest Department shall NOT be responsible for any loss in any of the works related to implementation of the Plan and no claim of any sort can be presented against Forest Department.

3.6 Forest Department will take legal action against any mis appropriation of fund by VFDS/BMC (Sub-Committee).

4. Support by the Project

4.1. The Project will provide funds for Community Development & Livelihood activities (CDAs) identified by the Society and in conformity with the CD&LIP guidelines, which will be implemented by the Society.

4 2. The Project will provide to the Society if required the related input/materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in the required qualities and quantities.

4.3. The Project will provide to the Society the payments specified in the Plan for implementation of works carried out in the PFM area on the basis of the Plan.

4.4. The Project will provide to the Society members training and other capacity building measures, as well as support for income generating activities as specified in the Plan.

4.5. The funds earmarked for Plantations, soil and water conservation. Biodiversity conservation etc..willbecredited into the VFDS/BMC (Sub-Committee) bank account according to six-month plan requirement (prepared from Micro plan)of VFDS/BMC (Sub-Committee).In addition, VFDS/BMC (Sub-Committee) to open an account for Livelihoods activity.

4.6. Payment and receipt of project funds will be strictly by means of cheques online payment/RTGS etc. or bank transfers to the account of the Society. Society will further distribute fund similarly.

5. Rights and Benefit Sharing

5.1. The Rights of right holders as admitted in the Forest Settlement will remain unaffected due to constitution of the Society and will continue to be exercised as heretofore.

5.2. The Benefits which Society members and their user groups will be entitled to after closure of plots / patches in the forest for various project interventions are as follows:

i) to collect the yield such as fallen twigs, branches, lopping, grass, bamboos, fruits, flowers, seeds, leaf fodder and non- timber forests products free of cost through individual or collective arrangements as decided by the Society;

ii) to the sale proceeds of all intermediate harvest, subject to protection of forest and plantations for at least 3 years from the date of agreement;

iii) to organize and promote vocational activities related to forest produce and land; and other activities such as promotion of self-help groups which may provide direct benefits, including micro-lending to women. None of the activities so promoted shall affect the legal status of the forest land;

iv) recorded rights over the forest shall not be affected by these benefits;

v) after 5 years. the Society may expand the area, on the basis of a fresh agreement deed, by inclusion of adjoining or nearby areas:

vi) to utilize at least 40 percent of the sale proceeds on forest regeneration activities including soil and water conservation.

provided that for the purpose of usufruct, the usufruct sharing family shall be one unit.

5.3 The Society will be entitled to their share of payments from intermediate and final felling,

whenever they take place in this forest, as laid out in the PFM Regulations of HP, 2001.

6. Monitoring & Evaluation

6.1 Monitoring and Evaluation of project activities will be done at different levels, including by the EC, a participatory monitoring committee and an independent third party apart from Project authorities.

6.2. The EC of VEDS/BMC (Sub-Committee) or any of its members will monitor progress ~~and quality of work~~ during execution of various works. The Member Secretary will record the date, places and names of EC members who checked the work(s) and whether works were satisfactory and any instructions given.

6.3 A participatory monitoring committee made up of members of the Society, a member from the Panchayat as well as a representative from the Forest Department (e.g. Deputy RO) will on quarterly basis review objectives, inputs and work progress and report to the whole Society. Their reports will then be sent to the Forest Officer for further action.

6.4. Where Society groups have carried out or are responsible for activities like social fencing, fire prevention, plantations or maintenance of plantations, annual monitoring will be carried out by Project-approved monitors (Third Party) and the results of this monitoring linked to release of payments, a) for social fencing in lieu of barbed wire fencing, b) for fire prevention as specified in the Plan and c) for survival in forest plantations as given in the agreed to norms for thatactivity.

6.5. Settlement of Disputes: Settlement of disputes and conflict resolution will be governed as laid out under para 47, 48 and 49 of the Bye Laws notified by GoHP.

Memorandum of Understanding

We are aware that the benefits mentioned in this agreement shall be available to the Society only when it discharges its duties, responsibilities and works in a satisfactory manner and this is certified by the Forest Officer every year. However, if the Forest Officer fails to fulfill conditions mentioned in Para 3 and 4 of this agreement and this is a cause for the Committee not able to discharge its responsibilities and works, and then it will be kept in mind while evaluating the works of the Committee every year.

I ...AJay....kumar........, President,..V.F.D.S.....Nigani.......... Joint VFDS/BMC

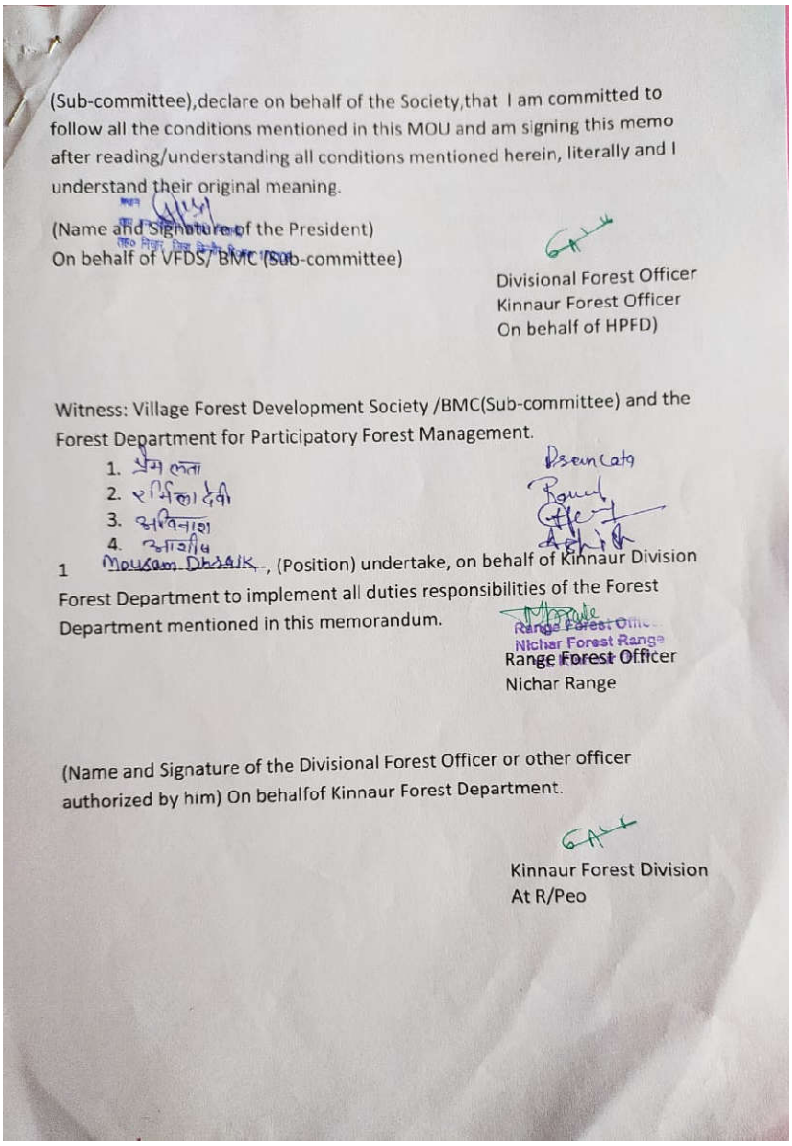

(Sub-committee),declare on behalf of the Society,that I am committed to follow all the conditions mentioned in this MOU and am signing this memo after reading/understanding all conditions mentioned herein, literally and I understand their original meaning.

(Name and Signature of the President)
On behalf of VFDS/ BMC (Sub-committee)

Divisional Forest Officer
Kinnaur Forest Officer
On behalf of HPFD)

Witness: Village Forest Development Society /BMC(Sub-committee) and the Forest Department for Participatory Forest Management.

1. प्रेम लता
2. रमिला देवी
3. अविनाश
4. आशीष

1 Mousam Dhasik, (Position) undertake, on behalf of Kinnaur Division Forest Department to implement all duties responsibilities of the Forest Department mentioned in this memorandum.

Range Forest Officer
Nichar Forest Range
Range Forest Officer
Nichar Range

(Name and Signature of the Divisional Forest Officer or other officer authorized by him) On behalfof Kinnaur Forest Department.

Kinnaur Forest Division
At R/Peo

Business Plan Approval by VFDS & DMU

Laxmi Self help Group will undertake the Handloom Khadi

As Livelihood generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems & Management & Livelihood (JICA Assitted.)In this regard business Plan of amount (Rs.) 402845 has been submitted by this group on dated .... and this business plan has been approved by Nigani VFDS. Business Plan with SHG resolutions being submitted to DMU. through FTU. for further action ,please .

Thank you

प्रधान Ajay
ग्राम वन विकास समिति निगानी
तह० निचार, जिला किन्नौर हि०प्र० 172103
Signature of VFDS Pardhan

Signature of VFDS Secretary

Signature of Forest Guard

Block Forest Officer
Nichar
Signature of Deputy Ranger

Range Forest Officer
Nichar Forest Range

Range Forest Officer
Nichar Forest Range

Approved

DMU-CUM-DCF.Kinnaur

Resolution –cum-group consensus form

It is decided in the general house meeting of the Self Help Group....Laxmi.............. Held on ....at...Nigaani.................. that our self help group will undertake the ..Handloom Khadi as livelihood income generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh.

Forest Ecosystem Management &Livelihoods. (JICA Assisted.)

प्रधान सचिव
लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह
निचार, किन्नौर (हि० प्र०)

Signature of Group Pradhan

सचिव
लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह
निचार, किन्नौर (हि० प्र०)

Signature of Group Secretary